न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया
बेतिया नगर – 681/2020

दिनांक–09/11/2020

बेतिया नगर थाना कांड संख्या –681/2020 के अन्तर्गत दिनांक 23/10/2020 से कारांबदी अभियुक्त राजा कुमार उर्फ राजा की ओर से उनके जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री इम्तेयाज अहमद की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं । उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदा0 श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचिका अतिउल्लाह नट स0 अ0 नि0 के लिखित आवेदन में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21/10/2020 को समय 22:30 बजे सूचक एवं अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्ती करते हुए मोहर्रम चौक से समय लगभग 03:30 बजे अतिथि गृह के तरफ जा रहे थे । उसी क्रम में एम0जे0के0 कालेज बेतिया के उत्तरी गेट के पास पहुँचे ही थे तभी पुलिस वाहन के लाइट की रोशनी देखकर एक व्यक्ति भागने लगा । शंका होने पर सूचक एवं अपने अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से घेराबन्दी करके पकड लिया गया । पकडाये गये व्यक्ति का नाम पूछा गया तो अपना नाम राजा कुमार उर्फ राजा बताया । पकडाये गये व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो एक लोहे का राइफल जैसा आग्नेयास्त्र जिसका वट लकडी का बना हुआ है, जिसके वट की लम्बाई 06 अंगुल वाडी की लम्बाई 20 अंगुल एवं वैरल की लम्बाई 21 अंगुल कुल राइफल की लम्बाई 47 अंगुल है । अभियुक्त राजा कुमार के पास से दो जिन्दा कारतूस जिसके पेन्दी पर 8 एम0एम0के0एफ0 लिखा हुआ था । एक लोहे का वेट लगा हुआ चाकू मिला । एक सैमसंग का पुराना मोबाईल मिला जिसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ, जिसका मोबाईल नं0 8603929803 एवं आई एम ई आई नं0 863731044364822/863731044364830 बरामद किया गया । बरामद हुऐ समान का कागजात मांगने पर कोई जवाब संतोषजनक नही रहा है । घटना स्थल पर जब्ती सूची तैयार किया गया ।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 25/1–बी/, ए/26 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो अजमानतीय है । सूचक ने आवेदक अभियुक्त के पास से अवैध आग्नेयास्त्र, दो जिन्दा कारतूस, चाकू, मोबाईल बरामद होने का आरोप है । आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 07/11/2020 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी